संख्या-31/2015/1493/94-स्टा0नि0-2-2015-700(223)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबन्धन विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

विषयः- स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में लिपिकीय त्रुटि के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 4/1124/ सं0वि0क0नि0-7-2014/700(223)13 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड के संग्रह केन्द्रों द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प में लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान में आने पर तद्दिनांक को अथवा उसके अगले कार्यदिवस में संग्रह केन्द्रों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तथा ई-स्टाम्प के निर्गमन के 30 दिवसों के अन्दर संग्रह केन्द्रों के प्राधिकृत अधिकारियों की आख्या एवं संबंधित उप-निबन्धकों की संस्तुति पर सहायक महीनिरीक्षक निबन्धन को लिपिकीय त्रुटि को संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन के साथ संपन्न समीक्षा बैठक में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि विभिन्न कारणों से एक माह के अन्दर बहुधा त्रुटि प्रकाश में नहीं आ पाती है तथा इस समय सीमा को बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपरोक्त के क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धन से प्राप्त प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जनपद स्तर पर सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन त्रुटियों में संशोधन अब 30 दिवस के स्थान पर ई-स्टाम्प के निर्गमन की तिथि से 4 माह की अवधि तक कर सकते हैं। इस समय-सीमा के उपरान्त ई-स्टाम्प में लिपिकीय त्रुटि के संशोधन की आवश्यकता होने पर सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत संशोधन विषयक यथेष्ट निर्णय लिया जाएगा। संशोधन से संबंधित शेष प्रक्रिया एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक,निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप-निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
3- क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0, लखनऊ।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।